संख्या– 1003/77–6–20–एल.सी.08 / 2019टी.सी.

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6

लखनऊ : दिनांक 05 मई, 2020

विषय–कोरोना वायरस डिजीज (कोविड–19) महामारी के दृष्टिगत उद्योगों के संचालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या–40–3 / 2020 –डीएम–1(ए) दिनांक 01 मई, 2020 द्वारा कोविड–19 महामारी के रोकथाम के संबंध में दिनांक 04.05.2020 से दो सप्ताह तक देशव्यापी लॉकडाउन प्रभावी रहने के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं। जिसके कम में उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन) अनुभाग–3 के आदेश संख्या 381 / 2020 / सीएक्स–3 दिनांक 03.05.2020 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश दिनांक 03 मई, 2020 का अनुपालन प्रत्येक दशा में कराया जाना है तथा इसके अन्तर्गत अनुमन्य औद्योगिक एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों को संचालित कराये जाने के लिये जिला प्रशासन तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्परतापूर्वक सभी सम्भव सहयोग प्रदान किया जाय।

3– इस संबंध में यह व्यवस्था निर्धारित की जाती है कि समस्त जनपदों के ग्रीन तथा ऑरेन्ज क्षेत्रों में जिन इकाईयों को शासनादेश में चलाये जाने योग्य श्रेणी में उल्लिखित किया गया हो उन्हें बिना किसी विशेष अनुमति अथवा NOC के चलाया जा सकता है। इसके लिए संबंधित इकाई द्वारा घोषणा–पत्र देना ही पर्याप्त होगा जिसमें अन्य विवरणों के अतिरिक्त यह घोषणा उल्लिखित हो कि संबंधित इकाई द्वारा शासनादेश में दिए गए दिशा–निर्देशों एवं स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त घोषणा–पत्र संबंधित इकाई के प्रमुख द्वारा दिया जायेगा तथा जिलाधिकारी को संबोधित करते हुए संबंधित उपायुक्त जिला उद्योग केन्द्र को सूचित किया जाएगा। घोषणा–पत्र का प्रारूप संलग्न है।

4– विभिन्न जनपदों के रेड क्षेत्रों में सम्बन्धित इकाई से स्व–घोषणा–पत्र प्राप्त कर औद्योगिक विकास विभाग अथवा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा अनुमन्य इकाईयों की सूची जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराये जाने पर जिलाधिकारी द्वारा तत्परतापूर्वक बिना किसी विलम्ब के ऐसी इकाईयों को

संचालित करने के लिये आदेश जारी किये जायेंगे। उक्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में 03 दिवस के भीतर पूर्ण कर ली जाय।

5— उपरोक्त प्रस्तर—3 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार घोषणा—पत्र दिये जाने के पश्चात तथा प्रस्तर—4 में जिलाधिकारी से संचालन की अनुमति जारी हो जाने के पश्चात् सम्बन्धित इकाई के कार्मिकों के लिये किसी अन्य पास की आवश्यकता नहीं होगी और सम्बन्धित इकाई के प्रमुख द्वारा जारी की गयी कार्मिकों की सूची के साथ इकाई द्वारा कार्मिकों को दिया गया परिचय—पत्र ही आवागमन के लिये मान्य होगा।

भवदीय,
05.05.20
(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या—1003/77—6—20—एल.सी.08/2019टी.सी.—03तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
आलोक
(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

उद्योग/इकाई खोलने हेतु स्व घोषणा पत्र

संगठन/यूनिट का नाम–

आवेदक का नाम–

जी0एस0टी/पैन/टिन–

उद्योग/ईकाई का पता/स्थान–

जिला–

ई–मेल–

मो0न0–

उद्योग (एस.एम.ई./लार्ज/मेगा)–

उद्योग की श्रेणी (शासनादेश दिनांक 03.05.2020 के अनुसार)–

कर्मचारियों की संख्या–

कर्मचारियों का विवरण–

क्र0स0	नाम	पदनाम	इकाई द्वारा जारी आई0डी0 न0	मो0न0

मैं घोषणा करता हूँ कि गृह (गोपन) अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–381/2020/सीएक्स–3 दिनांक 03.05.2020 में प्राविधानित स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

संबंधित इकाई के प्रमुख
का हस्ताक्षर सहित नाम/पदनाम